कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक –13/अ–82/2016–17 सूरजपुर, दिनांक 22/10/2021

-:: प्रारंभिक अधिसूचना ::-

जब कि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा–11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, एतद द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा–12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

-अनुसूची-

भूमि का प्रकार									धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न.	खसरा नं0			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)	(7)
सूरजपुर	प्रेमनगर	तारकेश्वर पुर, प.ह.नं.–	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	ख.नं.	रकबा	प्राधिकृत अधिकारी, सरगुजा रेल कॉरीडोर प्रा.लि.	रेलवे लाइन का निर्माण
			797/2	0.030	797/1	0.030	798/1	0.040		
			798/5	0.020	798/6	0.010	995	0.010		
			958/1	0.010	975/2	0.010	801	0.040		
			957	0.010	977	0.030	778	0.100		
			973	0.020	972	0.030	961	0.040		
			771/2	0.040	959	0.060	994	0.020		
			1212/4	0.260	777/1	0.050	कुल खसरा नंबर–20, कुल रकबा– 0.860			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3. समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी एवं उसके कर्मचारीवृंद, जो उक्त अनुसूची के कालम 6 में वर्णित है, को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

4. अधिनियम, 2013 की धारा–11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

5. अधिनियम 2013 की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से फाइल किये जा सकेंगे।

6. प्रस्तावित उक्त भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित का विस्थापन निहित नही है।

7. प्रस्तावित उक्त भूमि अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर (छ.ग.) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(..........)
भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर
11/10/21

(..........)
कलेक्टर
जिला–सूरजपुर
एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग